276

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–।।

उत्तरांचल शासन
4 सुभाष मार्ग, देहरादून – 248001 टेलीफोन/फैक्सः 0135–2713810

संख्याः ...../X-2-13-23(1)/2013 दिनांक 26/11/2013

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड
देहरादून

विषयः राजाजी राष्ट्रीय पार्क के चिलावाली राजि के गुजरों के पुनर्वास के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से पुनर्स्थापित तथा गैण्डिखत्ता गुजर बस्ती के प्लॉट आवंटित 806 गुजर परिवारों में से चिलावाली राजि के अंतर्गत 118 परिवार तथा 52 परिवार जो प्लॉट आवंटन को अस्वीकार किया है कुल 170 परिवार इस कारण राजाजी राष्ट्रीय पार्क में अभी भी रह रहे हैं कि उनके रिश्तेदार व कई लोग पूर्व में की गई गणना से छूटे हुए है तथा जब तक इनका पुनर्वास नहीं होता है वे पार्क छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वर्ष 2009 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के समस्त गुजरों की पुनः गणना की गई जिसमें समस्त राजियों में कुल 1610 परिवार अतिरिक्त पाए गए। वर्तमान में चिलावाली राजि में वर्ष 2009 की गणना के अनुसार 228 परिवार अतिरिक्त पाए गए हैं।

2. इस परिपेक्ष्य में अपर सचिव वन की उपस्थिति में चिलावाली में दिनांक 26 जनवरी 2013 को वन गुजरों के साथ बैठक किया गया तथा वन गुजरों द्वारा चयनित हरिद्वार वन प्रभाग के खानपुर राजि के शाहमंसूर आरक्षित वन का निरीक्षण किया गया तथा यह सहमति हुई कि उक्त आरक्षित वन को चिलावाली वन गुजरों को आवंटित करने पर समस्त गुजर परिवार पार्क को यथाशीघ्र छोड़ने के लिए तैयार है तथा आवंटित प्लॉटों में रहने लगेंगे जिसमें पुनर्वास कार्य भी साथ साथ प्रारंभ किया जाएगा। वर्ष 2009 की गिनती में अतिरिक्त पाए गए परिवार तथा प्लॉट आवंटन अस्वीकार किए 52 परिवार आपस में तय करेंगे कि कौन कौन से 52 परिवार गैंण्डिखत्ता के प्लॉट स्वीकार करेंगे तथा कौन कौन से परिवार शाहमंसूर आरक्षित वन में प्लॉट स्वीकार करेंगे।

3. अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 4(7)के अनुसार वन अधिकार प्रदान करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार से पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। शासन द्वारा वन गुजरों को परम्परागत वन निवासी मानते हुए उपरोक्त अधिनियम के प्राविधानों के साथ साथ पूर्व हुए शासनादेश सं0 45/7–1–2006–93(64)/2006 दिनांक 4/8/2006 द्वारा स्थापित गुजर पुनर्वास योजना के समतुल्य सुविधाएँ देने का निर्णय लिया गया है।

4. अतः उपरोक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के चिलावाली राजि के वन गुजरों का वर्ष 2009 में की गई गिनती को अंतिम मानते हुए पूर्व गिनती में छूटे हुए 228 गुजर परिवारों तथा प्लॉट आंवटन अस्वीकार किए 52 परिवारों कुल 270 परिवारों में से गुजरों द्वारा आपस में तय 228 परिवारों को हरिद्वार वन प्रभाग के खानपुर राजि के शाहमंसूर आरक्षित वन में शासनादेश संख्या 45/7–1–2006–93(64)/2006 दिनांक 4/8/2006 में दिए गए निर्देशों के

अनुसार एक माह के अंदर प्लॉट आवंटित कर फोटोयुक्त लैमिनेटड वन गुजर पहचान पत्र तथा कब्जा प्रमाण पत्र दिया जाए। शेष 52 परिवारों को गैण्डिखत्ता गुजर पुनर्वास क्षेत्र के रिक्त प्लॉटों का आवंटन किया जाए।

5. प्लॉटिंग तथा प्लॉट आवंटन का कार्य राजाजी राष्ट्रीय उद्यान तथा हरिद्वार वन प्रभाग द्वारा संयुक्त रूप से वन गुजरों की सहमति से किया जाएगा तथा अग्रेत्तर पुनर्वास कार्य हरिद्वार वन प्रभाग द्वारा संपादित किया जाएगा जिसके लिए विस्तृत योजना शासन को यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाए।

6. वन गुजरों के वर्ष 2009 की सूची को अंतिम माना जाएगा तथा इनके उम्र के सत्यापन दुबारा नहीं किया जाएगा।

7. वन गुजरों का स्वेच्छा से पुनर्वास होने तक उन्हें बेदखल नहीं किया जाएगा तथा उनके पार्क के अंदर स्थित डेरों तक वन गुजरों की सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर किसी प्रकार का रोक नहीं लगाएगा तथा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पुनर्वास हेतु वन गुजरों के पुराने डेरों के सामान पर किसी प्रकार की निकासी अथवा मार्ग शुल्क नहीं लिया जाएगा। वन गुजरों के स्थानीय उपयोग हेतु वन उपज का विदोहन अनुमन्य होगा तथा विस्थापित डेरों हेतु घास का एकत्रीकरण अनुमन्य होगा।

8. वन गुजरों के पुनर्वास होने तक उनके बच्चों की शिक्षा हेतु सरकारी तथा स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य मार्गों पर एक वन सुरक्षा कर्मी के साथ स्कूल बस चला सकता है ताकि उनको शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त हो सके।

9. वन गुजरों को अपने प्लॉटों में पुनर्वास कार्य हेतु शाहमंसूर आरक्षित वन क्षेत्र से स्थानीय रूप से मिट्टी, रेता, बजरी, पत्थर आदि की निःशुल्क चुगान का अधिकार होगा।

10. चयनित पुनर्वास क्षेत्र काफी खुले वन है। अतः इसमें किसी प्रकार का निःशेष पातन विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा तथा पुनर्वास कार्य हेतु किसी प्रकार का वृक्ष पातन आवश्यक होने पर गुजरों के आवेदन पत्र पर ही विचार किया जाए। चयनित पुनर्वास क्षेत्र में लैंटेना का संपूर्ण उन्मूलन किया जाएगा। प्लॉटिंग के पश्चात शाहमंसूर आरक्षित वन का अवशेष क्षेत्र वन गुजरों द्वारा प्रबंधित वन पंचायत के रूप में गठित किया जाएगा जिसमें वृक्षारोपण के साथ साथ मूंज, दाब, खस, भाबर आदि घास का रोपण भी किया जाएगा।

11. विस्थापन की कार्यवाही के पश्चात प्लॉटिंग का मानचित्र तथा आवंटन की अंतिम सूची शासन को अवगत कराया जाए ताकि पुनर्वास क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ किया जा सके।

12. उपरोक्त समस्त कार्यों हेतु अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

पत्रांकः 4382 /X-2-13-23(1)/2013 दिनांक 13/02/2013
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषितः

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड
2. निजी सचिव, मा0 केंद्रीय जल संसाधन मंत्री, एवं सांसद, हरिद्वार
3. निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड
4. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड
5. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

पत्रांकः 4382/X-2-13-23(1)/2013 दिनांक 13/02/2013
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

6. सचिव, जनजाति कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
7. सचिव, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
8. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, कैम्प देहरादून
9. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, कैम्प देहरादून
10. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून
11. सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन
12. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड
13. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून
14. निदेशक, जनजाति कल्याण, देहरादून
15. निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, देहरादून
16. जिलाधिकारी, हरिद्वार
17. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, देहरादून
18. प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग
19. श्री इरशाद, गुजर प्रधान, चिलावाली राजि, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान
20. राष्ट्रीय सूचना केंद्र, सचिवालय, देहरादून
21. सुरक्षित पत्रावली (गार्ड फायल)

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव